न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 81/2025(GCMS 2025/360)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री विनोद पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट जरिये अधिवक्ता शिव कुमार आचार्य, कोर्ट कैम्पस, अनूपगढ़ (मोबाईल नम्बर 82391-48588)

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ

13.03.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विनोद अथवा उनके प्रतिनिधि स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.04.2025 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार समय पर सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण, अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील पेश कर, लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि श्री विनोद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 08.04.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

> दिनांक 14.11.2024 को एक प्रार्थना पत्र बाबत चालान राशि प्राप्त करने हेतु इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि चक 18 पी के मुरब्बा नम्बर 78/29 का 16 बीघा विशेष आवंटन में आवंटन किया गया व चालान राशि जमा करवाई गई आदि, प्रस्तुत कर समस्या का निराकरण हेतु लिखा गया है। प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2024 की प्रतिलिपि संलग्न हैं। इस प्रार्थना पत्र पर आज रोज तक आप द्वारा जो भी उचित कार्यवही की गई, की प्रमाणित प्रतिलिपि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान करने का कष्ट करें।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ ने अपने पत्रांक आरटीआई/2025/738 दिनांक 07.11.2025 ने तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ ने निम्नानुसार रिपोर्ट प्रेषित की और प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना आवेदन दिनांक 14.11.2024 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2024/668 दि[illegible]12.2024 द्वारा आपसे सूचना चाही गई थी, जो आज दिनांक तक अ[illegible] है।
>
> अतः प्रकरण मौका एवं रिकॉर्ड की [illegible] नियमानुसार रिपोर्ट तैयार कर दो दिवस में इस कार्यालय को भिज[illegible] जाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:24:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ ने उक्तानुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, अनूपगढ़ से रिपोर्ट चाही गई है, जिससे यह पता नहीं चलता की लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब है अथवा नहीं?, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> **धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

चूंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया हो, ज्ञात नहीं होता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। आप द्वारा प्रार्थना पत्र का प्रार्थी को कोई जवाब न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 07 दिवस में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:24:18 IST
Reason: SelfAttested